Hindustan - New Delhi - 09 - 02 - 2011

कैट रिजल्ट के बाद बदले नियम

कैट में 99 प्रतिशत के बाद भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, मेधावी परेशान

चारू सुदन कस्तूरी

नई दिल्ली

25 वर्षीय दीपेन केन केमाता-पिता दोनों कैंसर के मरीज हैं। इन मुश्किल हालात के बावजूद दीपेन को कैट की प्रवेश परीक्षा में 99.27 पर्सेंटाइल मिले। पर देश के शीर्ष बिजनेस स्कूल यानी आईआईएम में एडमिशन लेने की जगह दिल्ली के टेलीकॉम एक्जीक्यूटिव दीपेन एक कानूनी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

दीपेन अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद आईआईएम द्वारा चयन के मानदंड बदल देने का शिकार करीब एक दर्जन छात्र हुए हैं। हालांकि प्रभावित छात्रों की ठीक-ठीक संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि हर आईआईएम के नियम भी अलग हैं। चार नए आईआईएम शिलांग, रोहतक, त्रिची और रायपुर ने ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और इंटरव्यू के लिए उन्हीं छात्रों को बुलाया जिन्होंने ग्रेजुएशन तक कम से कम 65 प्रतिशत मार्क्स थे। हालांकि प्रासपेक्टस में न्यूनतम आर्हता 50 प्रतिशत ही थी। वहीं अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड आईआईएम ने कैट के स्कोर, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर जीडी और इंटरव्यू के लिए न्यूनतम कटआफ तैयार किया।

बिजनेस स्कूलों का कहना है कि छात्रों के अंतिम चयन में वे कैट के स्कोर के अलावा अन्य पैरामीटर्स का भी ध्यान रखेंगे। हालांकि पिछले महीने कैट 2010 के परिणाम घोषित करने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया। आईआईएम अहमबाद के डीन एचएस जाजू ने भी इसे गलत बताया। जाजू ने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा कि कम से कम पुराने आईआईएम को परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद मानदंड बदलने नहीं चाहिए। छात्रों के साथ मुझे सहानुभूति नहीं है।

आईआईएम

- परीक्षा परिणान आने के बाद आईआईएम ने बदले चयन के मानदंड
- सबसे ज्यादा पर्सेंटाइल पाने वालों में एक दर्जन छात्रों को कॉल नहीं